न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O.), शिवगंज जिला–सिरोही

बइजलास पीठासीन अधिकारी श्री नीरज मिश्र, आर0ए0एस0

प्रार्थीगण		अप्रार्थीगण
1–अजबी पुत्री गणेशाराम 2–नबू पत्नी गणेशाराम जातिगण रेबारी निवासीगण धुबाणा तह0 शिवगंज 3–जगीबाई पत्नी हीराराम 4–जोगाराम पुत्र हीराराम 5–जोती पुत्री हीराराम 6–मूली पुत्री हीराराम 7–सुखीदेवी पुत्री हीराराम 8–समीबाई पुत्री हीराराम जातिगण रेबारी निवासीगण धुबाणा तह0 शिवगंज	बनाम	1.सीतादेवी पत्नी चिमनाराम जाति मीणा निवासी केसरपुरा 2.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार शिवगंज

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण–श्री महेन्द्रसिंह राव

राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व प्रार्थना पत्र सं0 36/2024

–:: आदेश ::– **दिनांक 24.12.2024**

प्रार्थीगण ने जरिए अधिवक्ता यह राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत अप्रार्थीगणों के विरूद्ध इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2024 को प्रस्तुत किया जिसका संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि हम प्रार्थीगण ग्राम धुबाणा के निवासी है तथा हम प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौजा ग्राम धुबाणा के खसरा नं0 67, 67/2 कुल रकबा 0.6394 एवं खसरा नं0 67/1 कुल रकबा 0.6475 हैक्टयर भूमि आई हुई है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी का सुविधापूर्ण उपयोग, उपभोग करने के लिये तथा भविष्य में कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो इसके लिये नियमानुसार शांतिपूर्ण ढंग से नेकमबंदी/पत्थरगढी हमारी खातेदारी आराजी खसरा नं0 67, 67/2 कुल रकबा 0.6394 हैक्टयर एवं खसरा नं0 67/1 कुल रकबा 0.6475 हैक्टयर भूमि के चारों तरफ करवाना चाहते है। प्रार्थीगण के खातेदारी आराजी निम्न खसरा नम्बरान 66, 68/3, 71, 74, 357/157 के मध्य आई हुई है। जिसको लेकर आऐ दिन वाद विवाद होता रहता है। जिस कारण से हम प्रार्थीगण अपनी खातेदारी आराजी खसरा नं0 67, 67/2, 67/1 के चारों तरफ नेकमबंदी/पत्थरगढी सीमा चिन्ह करवाने चाहते है।

प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत जमाबंदी नकल, नक्शा की प्रति व सलग्न दस्तावेजो के अवलोकन व मनन के पश्चात प्रार्थीगण के उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो से यह न्यायालय प्रथम दृष्टया सहमत होने से दिनांक 03.07.2024 को प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को वास्ते जवाब हेतु नोटिस जारी किए गये जो तामील होकर प्राप्त हुए। अप्रार्थी सं0 2 की और से दिनांक 13.08.2024 को जवाब पेश किया। अप्रार्थी सं0 1 का नोटिस तामील होने व उपस्थित नहीं होने से उनके विरूद्ध दिनांक 22.11.2024 को एक तरफा कार्यवाही की गई। दिनांक 24.12.2024 को प्रार्थी अधिवक्ता की एक तरफा बहस सुनी गई।

हमनें विचारण प्रकरण में पत्रावली के साथ प्रार्थी की खातेदारी कृषि भूमि मौजा धुबाणा पटवार हल्का धुबाणा तहसील शिवगंज के खसरा नं0 67, 67/2 कुल रकबा 0.6394 हैक्टयर व खसरा नं. 67/1 कुल रकबा 0.6475 हैक्टयर भूमि व संलग्न दस्तावेज तथा वकील प्रार्थी की एक तरफा बहस पर गंभीरता से मनन किया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:53 IST
Reason: SelfAttested

लगातार पेज –02

प्रकरण सं0 36 / 2024
अजबी व अन्य बनाम सीतादेवी व अन्य
अंतर्गत धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956

सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त प्रार्थी का यह प्रार्थना पत्र अन्तगर्त धारा 128 व 130 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थीगण का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। **प्रार्थीगण की खातेदारी कृषि भूमि मौजा धुबाणा तहसील शिवगंज जिला–सिरोही के खसरा नं0 67, 67 / 2 कुल रकबा 0.6394 हैक्टेयर एवं खसरा नं0 67 / 1 रकबा 0.6475 हैक्टयर** भूमि में पडौसी खातेदारों द्वारा प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण / बेदखल करने की संभावना व खातेदारी भूमि में काश्त करने में विघ्न पैदा होने तथा भविष्य में और भी कानुनन परेशानी व अन्य समस्याए पैदा न हो इस हेतु नियमानुसार प्रार्थी से उक्त भूमि के सीमाज्ञान हेतु भूमिधारी अधिकारी (तहसीलदार) शिवगंज को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेश दिया जाता है कि विवादित आराजी का नेखमबंदी करने से पूर्व सभी आवश्यक पक्षकारों की उपस्थिति में नेखमबंदी की जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें। उक्त नेखमबंदी करने से पूर्व प्रार्थीगण व अप्रार्थी को नोटिस / पत्र के जरिये सूचित किया जाकर एक तिथि निश्चित (वर्षा काल में खडी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नहीं करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 07.09.1992 को ध्यान में रखते हुए) कर नेकमबंदी की जावे। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000 / – रूपये (एक हजार) मात्र निर्धारित किया जाता है जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा। यदि पुलिस ईमदाद की आवश्यकता हो तो संबंधित पुलिस थाने से पुलिस ईमदाद प्राप्त करें। आदेश सरे ईलजास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

उपरोक्त आदेश आज दिनांक 24.12.2024 को मेरे हस्ताक्षर, पदनाम व न्यायालय की मुहर से जारी किया गया।

(नीरज मिश्र)
उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रेकर्ड आफिसर)
शिवगंज (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

क्रमांक / कोर्ट / 2024 / 663
दिनांक 24.12.2024

प्रतिलिपि पालनार्थः–

तहसीलदार शिवगंज को पालना कर रिपोर्ट भिजवाने हेतु प्रेषित है।

उपखण्ड अधिकारी (लैण्ड रेकर्ड आफिसर)
शिवगंज (राज0)
उपखण्ड अधिकारी
शिवगंज (सिरोही)

उपखण्ड अधिकारी शिवगंज (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Neeraj Mishra
Date: 2025.10.09 17:26:53 IST
Reason: SelfAttested